राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनिपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः रा.पै.मेडि.कौ./ संस्था./2024–25/304 **दिनांकः** 8/7/24

<u>–::सीमित बोली सूचनाः–</u>

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, सी–7,सुल्तान हाऊस,सवाई जससिंह हाईवे बनिपार्क, जयपुर स्थित (द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर) कार्यालय भवन हेतु एक वर्ष के लिये दर संविदा पर माल सहित जिसकी अनुमानित वार्षिक लागत 1,80,000/– (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) से अनाधिक है, निर्धारित (संलग्न शर्तो पर) सफाई कार्य करने के लिये अनुभवी ठेकेदार अपने कोटेशन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर कार्यालय में 22.07.2024 अपरान्ह् 01.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोले जावेंगे।

किसी भी बोली/कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

संलग्न - निविदा शर्तें।

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः रा.पै.मेडि.कौ./ संस्था./2024/ 304 **दिनांकः** 8/7/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. लेखाधिकारी, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिलको आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाईट व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल *http//:sppp.raj.nic.in* [illegible] पर अपलोड करें।
3. नोटिस बोर्ड (कौंसिल मुख्यालय)
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनिपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

ठेके पर कौंसिल कार्यालय की सफाई हेतु निर्धारित शर्तें

1. सफाई कार्य के लिए माल सहित ठेका एक वर्ष के लिय दिया जायेगा, जिसे अपनी सहमति से पूर्व शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।
2. ठेकेदार को कार्यादेश जारी करने से पूर्व 100/– रू. के नॉन न्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
3. ठेकेदार अपने कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा ठेकेदार को सबलेट नही करेगा।
4. सफाई कार्य रोज नियमित रूप से समस्त कार्य–दिवसों को किया जाना होगा। यदि किसी दिन कार्य नही किया जायेगा तो माह में कुल दो दिवसों तक के लिए ठेके की कुल राशि की अनुपातिक राशि (तीस दिनों का माह मानते हुए) बिल में से काट ली जायेगी, यदि माह में दो दिन से अधिक दिन अनुपस्थिति रहती है तो अनुपातिक राशि के साथ–साथ 300/– रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति भी लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी दिन सफाई नही होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हुआ, तो अन्य पक्ष से सफाई कराई जायेगी तथा अन्य पक्ष को देय राशि ठेकेदार के बिल में से काट ली जायेगी।
5. कार्य–दिवस में एक बार सफाई होने के उपरान्त, पुनः आवश्यक होने पर विशेष स्थिति में, माह में एक बार दुबारा ठेकेदार को बुलाया जा सकता है जिसकी सफाई के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। यदि माह में एक से अधिक बार बुलाया जाता है तो उपरोक्तानुसार अनुपातिक राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. यदि जीएसटी अथवा अन्य कोई कर आदि देय हुआ तो उसका अतिरिक्त भुगतान कौंसिल द्वारा किया जायेगा।
7. आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी सफाई कार्य हेतु बुलाया जा सकता है। अवकाश के दिन कार्य करने के लिए ठेके की कुल राशि की अनुपातिक राशि (तीस दिनों का माह मानते हुए) का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।
8. ठेकेदार द्वारा कभी भी बाल श्रमिक नही लगाया जायेगा।
9. सफाई कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
10. कार्य का माह पूर्ण होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर राशि का भुगतान ठेकेदार के खाते में ऑनलाईन किया जायेगा।
11. यदि ठेकेदार द्वारा कार्य सन्तोषजनक रूप से नही किया गया तो 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

6

12. सफाई सम्बन्धी विशेष शर्तेः–

a. कौंसिल का कार्यालय 7, सुल्तान हाउस, बनीपार्क, जयपुर स्थित भवन पर द्वितीय एवं तृतीय भूतल पर स्थित है, जहां स्थित समस्त कक्षों, रिकॉर्डरूम, भण्डार, दोनो शौचालय, पेण्ट्री, कॉन्फ्रेन्स हॉल, खिडकियां, रेलिंग, सीढियां आदि की सफाई शामिल हैं।
b. सफाई कार्य अच्छी तरह से दैनिक रूप से तथा नियमित रूप से किया जायेगा।
c. दोनो शौचालय की अच्छी तरह से सफाई–धुलाई फिनाइल, हार्पिक आदि का प्रयोग कर करनी होगी।
d. कार्यालय के समस्त कक्षों तथा सीढियों पर दैनिक रूप से झाडू तथा पौछा लगाना होगा।
e. रोज कार्यालय मे लगायें गये समस्त डस्टबिन आदि से कचरा एकत्रित कर भवन के बाहर डम्पिंग यार्ड/स्थल पर डालना होगा।
f. सभी डस्टबिनो मे रोज गारबेज थैली बदलनी होगी।
g. सफाई के लिए समस्त आवश्यक सामग्री तथा फिनाइल, हार्पिक झाडू पोछा, गारबेज थैलियां, जूना, ओडोनिल, मच्छरों का स्प्रे, रूम स्प्रे आदि ठेकेदार को अपनी लागत पर लाना होगा।
h. दैनिक कचरा डालने/एकत्रित करने के लिए आवश्यक छोटे–बडे डस्टबिन कौंसिल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायें जायेगें
i. सफाई कार्य रोज कार्य दिवस पर करना होगा।
j. सफाई कार्य रोज प्रातःकाल मे करना होगा तथा प्रातः 9.30 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए।
k. माह मे एक बार जाले आदि भी साफ करने होगें।

उपरोक्त शर्ते मैने/हमनें पढ ली हैं, और यह शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है।

बोलीदाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम मय सील

6